इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2014—भाद्र 14, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2014

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 27) राज्य शासन, श्री देवेन्द्र सोलंकी, पिता श्री मनोज कुमार सोलंकी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है. उसकी जन्मतिथि 24 जुलाई 1978 है.

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 06) राज्य शासन, श्री महेन्द्र सिंह, पिता श्री गोविन्द सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है. उसकी जन्मतिथि 11 मार्च 1978 है.

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 14) राज्य शासन, सुश्री रानो पाल, पिता पहलवान सिंह पाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014

तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड है. उसकी जन्मतिथि 19 अगस्त 1987 है.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. एफ 6-6-2014-58.—विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई 2014 के पृष्ठ क्र. 630 (3) के अनुक्रमांक-18 पर बुरहानपुर जिले में केला फसल के लिए नेपानगर तहसील को शामिल कर, अधिसूचित किया जाता है.

यह अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई, 2014 से ही लागू मानी जावेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्र. 4540-5589-2013-आठ.—श्री महेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)-19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मयप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलू मरकाम, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. एफ-3-42-2014-बत्तीस.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4476-5622-बत्तीस-1976, दिनांक 8 नवम्बर 1976 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के प्रावधान अंतर्गत झाबुआ निवेश क्षेत्र की सीमाएं का गठन किया गया था. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(2) क अन्तर्गत पूर्व गठित झाबुआ निवेश क्षेत्र में ग्राम मिण्डल, बाडकुआँ एवं ग्राम रतनपुरा को सम्मिलित करते हुए, संशोधित निवेश क्षेत्र का गठन करता जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाए अनुसार है:—

अनुसूची

झाबुआ निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में—ग्राम मिण्डल, नगरपालिका, झाबुआ, ग्राम गडवाडा की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम मिण्डल, बाडकुआँ, रतनपुरा, आम्बाखोदरा, बिलीडोज की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम बिलीडोज, नाचनखेड़ा, धरमपुरी, गडवाडा की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में—ग्राम मिण्डल, नगरपालिका, झाबुआ, ग्राम गडवाडा, नाचनखेड़ा एवं धरमपुरी की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. एफ 1-12-2013-छब्बीस-1.—राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश के द्वारा "समग्र पुनर्वास नीति" का प्रारूप तैयार करने के लिये पांच सदस्यों को आयोग में सदस्य के रूप में मनोनयन किया गया है. आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:—

1. सदस्यों की नियुक्ति पूर्णत: अवैतनिक होगी.
2. समस्त सदस्य "समग्र पुनर्वास नीति" का प्रारूप तैयार करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग के अध्यक्ष के अधीन रह कर कार्य में सहयोग करेंगे.

3. सदस्यों को राज्य एवं राज्य के बाहर यात्रा हेतु राज्य शासन के सचिव स्तर के अधिकारी के समरूप यात्रा सुविधा का लाभ प्रदान किया जावेगा.

4. आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाली प्रारूप नीति की बैठकों में भाग लेने हेतु रेल के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की यात्रा की पात्रता होगी.

5. समग्र प्रारूप नीति तैयार करने के संबंध में बाहर से आने वाले सदस्यों को 1000/- रुपये बैठक हेतु मानदेय होगा.

6. राज्य सरकार लोकहित में बिना सूचना दिये कभी भी हटा सकेगी. परन्तु उन्हें उचित सूचना दिये बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जावेगा या सदस्यों को 15 दिवस की सूचना देकर पद त्याग कर सकेगा.

(2) उपरोक्त व्यय मांग संख्या-34-मुख्य लेखा शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-02-समाज कल्याण-800 अन्य व्यय-7360-राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का गठन-42-सहायक अनुदान-0101 राज्य आयोजना सामान्य-002-संधारण अनुदान मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

(3) उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी.

क्र. एफ 1-12-2013-छब्बीस-1.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-21-2013-एक (1), दिनांक 20 सितम्बर 2013 द्वारा श्री नानक राम वाधवानी, उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:—

क्र. (1)	सुविधा का नाम (2)	देय सुविधाएं (3)
1	मानदेय एवं सत्कार भत्ता	10,000/- प्रतिमाह
2	यात्रा/दैनिक भत्ता	राज्य शासन के "ए" श्रेणी के अधिकारी की भांति.
3	वाहन	1
4	वाहन चालक	1
5	पेट्रोल सीमा	100 लीटर प्रतिमाह
6	यात्रा सुविधा	रेल की वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी
7	चिकित्सा सुविधा	विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.
8	निजी स्टॉक	निज सहायक-एक (8,000/- प्रतिमाह) भृत्य-2 (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर अनुसार).
9	दूरभाष	कार्यालय-एक, निवास-एक
10	दूरभाष व्यय सीमा	रुपये 30,000/- प्रतिवर्ष (किराया छोड़कर).
11	किराये के आवास की सुविधा.	रुपये 15,000/- प्रतिमाह

नोट.—किराये का वाहन होने की स्थिति में किराये की गणना भी 100 लीटर के मान से होगी.

(3) उपरोक्त सेवा शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-12-2014-नियम-चार, दिनांक 2 अगस्त 2014 के संदर्भित आदेशों में निहित प्रावधान अन्तर्गत ऐसे उपाध्यक्ष जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है, की पेंशन का समायोजन उनके मानदेय राशि के विरुद्ध हो सकेगा, देय होगा.

(4) उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. निरंजन, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. 1833-1670-2014-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला गुना के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4897 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से 31 मई 2015 तक सात माह के लिए छूट

देता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल भारतीय, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्र. एफ 1(ए) 266-86-ब-2-दो.—श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर को Mid Career Training Programme Phase-V में दिनांक 14 से 27 जुलाई 2014 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक वांशिगटन डी.सी. एवं न्यूयार्क यू.एस.ए. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India Leave) दिनांक 9, 10, 15, 16, 17 एवं 18 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 251-88-ब-2-दो.—श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ओएसडी सुरक्षा एवं समन्वय मध्यप्रदेश, भवन नई दिल्ली को Mid Career Training Programme Phase-V में दिनांक 14 से 27 जुलाई 2014 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक वांशिगटन डी.सी. एवं न्यूयार्क यू.एस.ए. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India Leave) दिनांक 9, 10, 15, 16, 17 एवं 18 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ओएसडी सुरक्षा एवं समन्वय मध्यप्रदेश, भवन नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक पटेरिया भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2014

क्र. एफ 1(ए) 273-86-ब-2-दो.—श्री महान भारत सागर, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक (शिका/माअआ), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 25 जनवरी 2014 तक चार दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री महान भारत सागर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री महान भारत सागर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, शासन
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

संशोधन

क्र. 5559-2908-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी, सी एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई, की अधिसूचना क्रमांक 7094-2908-अका-विपप्र-2013, दिनांक 17 अक्टूबर 2013 को जारी की गई थी, जिसमें ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री मोहित बुदांस, सहायक कलेक्टर को निम्नस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया गया था, जिसे अब संशोधित किया जाता है, श्री मोहित बुंदास को उपरोक्त विषयों में उच्च स्तर से उत्तीर्ण पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय)
जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 14 अगस्त 2014

आदेश

क्र. स.शि.-2014-1168.—आयुक्त सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-सुसे-2010-600, दिनांक 28 सितम्बर 2011 तथा मध्यप्रदेश राज्य पत्र असाधारण 2 जुलाई 2009 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन एवं निगरानी वर्ष 2014-15 में 6 माह हेतु निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त से प्राप्त सुलह अधिकारियों के नाम अनुसार खण्ड स्तरीय सुलह अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है.

1. श्री निरजंन सिंह लोधी, एडव्होकेट उपखण्ड, विदिशा.
2. श्री संजय प्रधान, एडव्होकेट उपखण्ड, विदिशा.
3. सीमा सोलंकी, एडव्होकेट उपखण्ड, विदिशा.
4. श्री ताराचंद्र भावसार, एडव्होकेट उपखण्ड, बासौदा
5. श्री सुभाषचन्द्र ताम्रकार, एडव्होकेट उपखण्ड, बासौदा
6. श्री मुकेश रघुवंशी, एडव्होकेट उपखण्ड, बासौदा
7. श्री पुरूषोत्तम कुशवाह, उपखण्ड ग्यारसपुर.
8. श्री मुकेश सोनी, एडव्होकेट उपखण्ड ग्यारसपुर.
9. श्री राजीव कुमार जैन, एडव्होकेट उपखण्ड ग्यारसपुर.
10. श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन.
11. श्री हरगोविंद धाकड, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन.
12. श्री हुकुम चन्द्र भावसार, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन.
13. श्री नसीरअली एडव्होकेट उपखण्ड, कुरवाई
14. श्री राजेन्द्र कुमार सोनी, एडव्होकेट उपखण्ड, कुरवाई
15. श्री कमल कुमार पटेल, एडव्होकेट उपखण्ड, कुरवाई
16. श्री रमेश गर्ग, एडव्होकेट उपखण्ड, सिरोंज
17. श्री अशोक रावल, एडव्होकेट उपखण्ड, सिरोंज
18. श्री उमेश वाली, एडव्होकेट उपखण्ड, सिरोंज
19. श्री कृष्णमोहन पाराशर, एडव्होकेट उपखण्ड, लटेरी
20. श्री सबीर अली खान, एडव्होकेट उपखण्ड, लटेरी
21. श्री डी. पी. कटारिया, सहायक विस्तार अधिकारी उपखण्ड लटेरी.

उक्त गठित समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में खण्ड स्तर पर कार्य करेगी.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर
(सी-2, साउथ सिविल लाईन्स)

जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

फा. क्र. 38-स्था.-राविसेप्रा-1375-2014.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) की धारा 8-क (2) तथा सहपठित विनियम 3(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एतद्द्वारा माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है:—

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

1. श्री के. एल. जाटव, अधिवक्ता, जबलपुर	सदस्य
2. श्रीमती देविका सिंह, अधिवक्ता, जबलपुर	सदस्य
3. श्री चम्पालाल यादव, अधिवक्ता, इन्दौर	सदस्य
4. श्री नवल गुप्ता, अधिवक्ता, ग्वालियर	सदस्य

No. 38-Estt-SLSA-2014.— In exercise of the powers conferred by Section 8-A (2) of Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) read with Regulation 3 (5) of the Madhaya Pradesh State Legal Services Authority Regulation, 1997 the State Government in consulation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates the following persons as members of the High Court Legal Services Committee for a period of two years with effect from the date of assuming charge:—

HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

1.Shri K. L. Jatav, Advocate, Jabalpur	Member
2.Smt. Devika Singh, Advocate, Jabalpur	Member
3. Shri Champalal Yadav, Advocate, Indore.	Member
4. Shri Naval Gupta, Advocate, Gwalior	Member

दिनेश कुमार नायक, सदस्य सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

सूचना

क्र. एफ. 1-9-2013-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, **नवीन तहसील कोलार, बैरागढ़, गोविंदपुरा, महाराणाप्रताप नगर, तात्या टोपे नगर, शहर भोपाल एवं हुजूर जिला भोपाल** सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील हुजूर जिला भोपाल की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शायी प्रस्तावित तहसील, जिसका प्रस्तावित मुख्यालय कॉलम (3) में दर्शाया गया है, को कॉलम (4) में दर्शायी गई वर्तमान तहसील के कॉलम (5) में दर्शाये गये परिवर्तन के प्रकार अनुसार उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित

रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :—

अनुसूची

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोलार	बैरागढ़ चिचली.	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 03 रतनपुर सड़क के प.ह.नं. 29 से 33 तथा रा.नि.मं. 04 बैरागढ़ चिचली के प.ह.नं. 34 से 37 एवं 37/1 से 41 तक कुल 14 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 42 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील कोलार में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'बैरागढ़ चिचली' होगा.	**पूर्व में**—तहसील गोहरगंज जिला रायसेन **पश्चिम में**—प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर. **उत्तर में**—प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर एवं तात्याटोपे नगर. **दक्षिण में**—तहसील गोहरगंज जिला रायसेन.
2	बैरागढ़	बेहटा	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 05 बेहटा के प.ह.नं. 42 से 49 तथा रा.नि.मं. 06 फन्दा के प.ह.नं. 50 से 58 तक कुल 17 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 37 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील बैरागढ़ में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'बेहटा' होगा.	**पूर्व में**—प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल **पश्चिम में**—तहसील सीहोर जिला सीहोर. **उत्तर में**—प्रस्तावित तहसील हुजूर (शेष भाग). **दक्षिण में**—प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर.
3	गोविंदपुरा	गोविंदपुरा	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 07 गोविंदपुरा के प.ह.नं. 59 से 61 तथा रा.नि.मं. 08 कानासैया के प.ह.नं. 62 से 68 तक कुल 10 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 23 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील गोविंदपुरा में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'गोविंदपुरा' होगा.	**पूर्व में**—तहसील रायसेन जिला रायसेन **पश्चिम में**—प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल एवं प्रस्तावित तहसील हूजूर. **उत्तर में**—प्रस्तावित तहसील हुजूर एवं तहसील रायसेन जिला रायसेन. **दक्षिण में**—प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर.
4	महाराणा प्रताप नगर.	अहमदपुर कलां.	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 09 मिसरोद के प.ह.नं. 69 से 78 तथा रा.नि.मं. 10 बिलखिरियाकलां के प.ह.नं. 79 से 87 तक कुल 19 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 39 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील महाराणा प्रताप नगर में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'अहमदपुर कलां' होगा.	**पूर्व में**—तहसील गोहरगंज जिला रायसेन **पश्चिम में**—प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर एवं प्रस्तावित तहसील कोलार. **उत्तर में**—प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा. **दक्षिण में**—प्रस्तावित तहसील कोलार.
5	तात्याटोपे नगर.	कोटरा सुल्तानाबाद.	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 11 बरखेड़ीकलां के प.ह.नं. 88 से 102 तथा रा.नि.मं. 12 रातीबड़ के प.ह.नं.103 से 115 तक कुल 28 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 58 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर	**पूर्व में**—प्रस्तावित तहसील कोलार एवं प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर. **पश्चिम में**—तहसील सीहोर जिला सीहोर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				प्रस्तावित नवीन तहसील तात्याटोपे नगर में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'कोटरा सुल्तानाबाद' होगा.	**उत्तर में**—प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ एवं प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल. **दक्षिण में**—तहसील सीहोर जिला सीहोर.
6	शहर भोपाल.	कोहेफिजा	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 13 शहर भोपाल के प.ह.नं. 116 से 123 तथा रा.नि.मं. 14 लांबाखेड़ा के प.ह.नं. 124 से 131 तक कुल 16 पटवारी हल्के कुल इस प्रकार कुल 27 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील शहर भोपाल में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'कोहेफिजा' होगा.	**पूर्व में**—प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा **पश्चिम में**—प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ **उत्तर में**—प्रस्तावित तहसील हुजूर **दक्षिण में**—प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर.
7	हुजूर	ईंटखेड़ी सड़क	हुजूर	वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 03 रतनपुर सड़क के प.ह.नं. 29 से 33 तथा रा.नि.मं. 04 बैरागढ़ चिचली के प.ह.नं. 34 से 37 एवं 37/1 से 41 तक कुल 14 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 05 बेहटा के प.ह.नं. 42 से 49 तथा रा.नि.मं.06 फन्दा के प.ह.नं. 50 से 58 तक कुल 17 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 07 गोविंदपुरा के प.ह.नं. 59 से 61 तथा रा.नि.मं. 08 कानासैया के प.ह.नं. 62 से 68 तक कुल 10 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 09 मिसरोद के प.ह.नं. 69 से 78 तथा रा.नि.मं. 10 बिलखिरियाकलां के प.ह.नं. 79 से 87 तक, कुल 19 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 11 बरखेड़ीकलां के प.ह.नं. 88 से 102 तथा रा.नि.मं. 12 रातीबड़ के प.ह.नं. 103 से 115 तक कुल 28 पटवारी हल्के तथा रा.नि.मं. 13 शहर भोपाल के प.ह.नं. 116 से 123 तथा रा.नि.मं. 14 लांबाखेड़ा के प.ह.नं. 124 से 131 तक, कुल 16 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 104 पटवारी हल्के जिनमें 226 राजस्व ग्राम हैं. अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील हुजूर में रा.नि.मं.-01 ईंटखेड़ी के प.ह.नं. 1 से 14 तक तथा रा.नि.मं.-02 चोपड़ाकलां के प.ह.नं. 15 से 28 तक, कुल 28 पटवारी हल्के जिनमें 78 राजस्व ग्राम शामिल होंगे जिसका मुख्यालय 'ईंटखेड़ी सड़क' होगा.	**पूर्व में**—प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा **पश्चिम में**—तहसील श्यामपुर जिला सीहोर. **उत्तर में**—तहसील बैरसिया **दक्षिण में**—प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ एवं शहर भोपाल.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्र. 6724-भू-अर्जन-24-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत, इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—खिरकिया
(ग) नगर/ग्राम—छीपाबड
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.755 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)	विवरण (3)
83/1	0.153	सिचिंत
84	0.174	असिचिंत
89	0.425	सिचिंत
14/2	0.113	सिचिंत
18	0.109	सिचिंत
4/2	0.101	सिचिंत
129/1	0.045	असिचिंत
83/2	0.008	सिचिंत
85/1, 85/2	0.105	सिचिंत
14/3	0.275	सिचिंत
17	0.077	असिचिंत
2	0.065	असिचिंत
4/1	0.105	सिचिंत
योग . .	1.755	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खिरकिया नहर की 1 एल माइनर एवं 2 एल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6726-भू-अर्जन-2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—खिरकिया
(ग) नगर/ग्राम—चौकडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.025 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	विवरण (3)
161/1	0.045	असिचिंत
715/1, 715/2	0.089	सिचिंत
710/1	0.073	सिचिंत
702/1, 702/2	0.073	असिचिंत
705	0.065	असिचिंत
699	0.032	असिचिंत
694	0.089	सिचिंत
681/4	0.016	सिचिंत
210/1	0.234	असिचिंत
212	0.024	असिचिंत
689/2	0.185	असिचिंत
237	0.045	असिचिंत
667	0.032	असिचिंत
668/1	0.032	सिचिंत
661	0.012	सिचिंत
654/1, 654/2	0.153	सिचिंत
649/1	0.041	सिचिंत
650	0.081	सिचिंत
644	0.049	सिचिंत
642	0.057	सिचिंत
716	0.105	सिचिंत
714/1, 714/2	0.093	सिचिंत
710/2	0.097	सिचिंत
704	0.081	सिचिंत
706	0.049	असिचिंत

(1)	(2)	(3)
695/1, 695/2, 695/3	0.206	असिचिंत
681/3	0.097	असिचिंत
207/3	0.032	असिचिंत
211	0.061	असिचिंत
219/1	0.145	सिचिंत
236	0.012	असिचिंत
238	0.032	असिचिंत
668/2	0.065	असिचिंत
662	0.121	असिचिंत
660	0.162	सिचिंत
653	0.065	सिचिंत
651	0.057	सिचिंत
645	0.045	सिचिंत
643	0.061	सिचिंत
641/1	0.012	सिचिंत
योग . .	3.025	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खिरकिया नहर की 4 एल माइनर एवं 5 एल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6728-भू-अर्जन-25-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत, इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—खिरकिया
(ग) नगर/ग्राम—खिरकिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.810 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
280/1	0.020	सिचिंत
281/1	0.172	असिचिंत
281/3	0.101	सिचिंत
288	0.101	सिचिंत
292/1	0.250	सिचिंत
290	0.113	सिचिंत
291/4	0.053	सिचिंत
योग . .	0.810	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खिरकिया नहर की 3 एल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 28 जुलाई 2014

प्र. क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—दुधावरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.314 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
127	1.692 में से 0.314 हे. भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जरतोली से डाबरी मार्ग निर्माण के अंतर्गत आने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—बाबईखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.180 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
19/2	0.460 हे. में से 0.180 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सनाई से दानखेडी मार्ग के निर्माण के अंतर्गत आने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—रमखिरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.552 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13	0.120
05	0.130
01	0.202
16	0.050
17	0.050
योग . .	0.552

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की वितरिका नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 28 जुलाई 2014

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—पठारी
(ग) ग्राम—परसौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.795 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
215/4क	0.283
217/2/1	0.043
217/2/2	0.109
217/2/3	0.305
217/2/4	0.030
217/2	0.305
217/3/1	0.120
217/5	0.600
योग . .	1.795

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेहटी मध्य सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—पठारी
(ग) ग्राम—रामगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.986 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
23/2/1	0.400
23/4/1	0.664
23/9	0.341
23/10	0.341
23/11	0.341
23/12	0.341
23/6	0.500
23/7	0.500
25/2/2	0.800
40/1	1.045
40/2	0.418
40/3	0.836
40/4	0.627
63/3/1	1.412
41	0.420
योग . .	8.986

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. 468-भू-अर्जन-2014-प्र. क्र. 40-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—जावरा
(ग) नगर/ग्राम—बन्नाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.012 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
226/2	1.012
योग . .	1.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—जावरा शहर के चौपाटी क्षेत्र में बस स्टेण्ड की स्थापना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. 914-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—डिहुली

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.07 हेक्टेयर.

सिहावल मुख्य नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के निर्माण हेतु

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
1223/1क	0.01
1223/1	0.06
योग (अ)	0.07

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

	योग (ब)	निरंक
महायोग (अ+ब)		0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कुस्परी सब-माईनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 916-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—मबई

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.350 हेक्टेयर.

सिहावल मुख्य नहर के मबई माईनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
1983	0.040
1984	0.120
2051	0.110
2052	0.020
2045	0.020
1212	0.040
योग (अ)	0.350

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

	योग (ब)	निरंक
महायोग (अ+ब)		0.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मवई माईनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 918-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—टीकट खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.04 हेक्टेयर.

सिहावल मुख्य नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
122/1, 122/2, 122/3	0.040
योग (अ) . .	0.040
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
योग (ब)	निरंक
महायोग (अ+ब)	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मवई माईनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. 922-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) नगर/ग्राम—टटिहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.412 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
294/1, 294/2	0.574
262	0.611
263	0.049
260	0.446
304	0.192
252	0.042
253	0.410
254	0.061
255	0.624
251	0.002
244	0.013
245	0.685
185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5	0.058
186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5	0.990
132	0.514
56/1, 56/2	0.269
130	0.007
129	0.004
63	0.041
64	0.509
62	0.041
68/1/क, 68/1ख, 68/2	0.310
61	0.042
60	0.010
72	0.615
73	0.047
74	0.081
75	0.020
76	0.014
191	0.041
267	0.004
निजी पट्टे की भूमि का योग . .	7.326

(1)	(2)
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
125	0.012
303	0.040
184	0.034
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.086
(अ+ब) का योग . .	7.412

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 924-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—नर्रहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.312 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
978	0.117
982	0.042
976	0.005
977	0.061
979	0.202
981	0.032
985	0.015
984	0.002
988	0.063
972	0.007
993	0.082
992	0.011
980	0.027
989	0.067
990	0.155
991	0.106
1022	0.016
1023	0.012
1020	0.008
1021	0.053
1014	0.083
1013	0.011
1012	0.109
1015	0.247
1019	0.015
1018	0.022
1016	0.057
1017	0.027
900	0.076
899	1.124
876/1, 876/2	0.127
875	0.086
874	0.022
864/1, 864/2/1, 864/2/2	0.033
863/1, 863/2	0.065
818/1, 818/2	0.009
862/1, 862/2	0.001
865	0.066
866/1	0.416
860/1, 860/2, 860/3	0.161
859/1	0.161
850	0.020
851	0.109

(1)	(2)
858/1, 858/2	0.094
852	0.061
848	0.183
853	0.066
842	0.173
839	0.200
838	0.033
836	0.129
1024	0.008
1026	0.001
861/1, 861/2, 861/3	0.003
847	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग. .	5.082
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
878	0.192
941	0.038
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.230
(अ+ब) का योग . .	5.312

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 926-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—उलही कला 53

(घ) लगभग क्षेत्रफल —10.483 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
150/1, 150/2	0.058
152	0.511
153	0.278
201	0.073
200/1, 200/2	0.137
196	0.126
197	0.188
195	0.252
194	0.230
193	0.224
192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5	0.560
189	0.013
188	0.023
190	0.024
191	0.195
233/1, 233/2, 233/3	0.240
232	0.007
231/1, 231/2, 231/3	0.936
253/1, 253/2, 253/3	0.036
254/1, 254/2, 254/3	0.905
255/1, 255/2, 255/3	0.032
256/1, 256/2	0.215
259	0.103
272	0.009
297/1, 297/2, 297/3	0.003
296/1, 296/2	0.007
295/1, 295/2, 295/3	0.232
275	0.324
274	0.123
279	0.030
278	0.013
276	0.544
394/1, 394/2, 394/3	1.110
391/1, 391/2, 391/3	0.117
395/1, 395/2	0.041
408/1, 408/2	0.200
409	0.483

(1)	(2)
415/1, 415/2, 415/3, 415/4 415/5	0.987
416/1, 416/2	0.073
417/1, 417/2	0.480
418	0.004
258	0.008
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	10.154
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
273, 273/1	0.254
410	0.034
151	0.036
396	0.005
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.329
अ+ब का योग . .	10.483

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 928-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—उलही उन्मूलन

(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.793 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—नजी पट्टे की भूमि	
55/1, 55/2, 55/3, 55/4	0.671
56	0.016
58/1, 58/2, 58/3	0.101
59/1, 59/2	0.391
60/1, 60/2, 60/3	0.495
61	0.468
62	0.221
42	0.005
41	0.625
15	0.089
16	0.009
18/1, 18/2	0.941
19/1, 19/2, 19/3	0.663
35, 35/2	0.017
20/1, 20/2	0.064
40/1, 40/2	0.017
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.793
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	4.793

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 932-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—महगना

(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.155 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—नजी पट्टे की भूमि	
362	0.022
363	0.033

(1)	(2)
364	0.180
365/1 365/2	0.045
360	0.051
367/1 367/2	0.329
368/1 368/2	0.053
369/1 369/2	0.300
372	0.002
401	0.008
373	0.769
385	0.063
374	0.004
386	0.003
387	0.002
389	0.185
384	0.083
382	0.101
381	0.236
379	0.389
380	0.023
322/1 322/2	0.066
321	0.460
93	0.084
94	0.345
95	0.266
106	0.007
62	0.001
105	0.689
97	0.011
100	0.082
99/1 99/2	0.010
101	0.120
102	0.147
116	0.057
103	0.023
115	0.213
117	0.234
25	0.179
26	0.260
27	0.004
24	0.166
23	0.033
17	0.345
18	0.416
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	7.099
ब. म. प्र. शासन की भूमि.	
359	0.056
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.056
अ+ब का योग . .	7.155

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 934-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—भीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.836 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
327/1 327/2	0.192
659	0.542
660	0.053
658/1	0.154

(1)	(2)
657/1	0.654
656/1 656/2	0.241
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग.	1.836
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	1.836

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 936-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—अतरारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.869 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
285/1 285/2 285/3 285/4 285/5 285/6	0.228
280/1/1 280/1/2 280/2	
280/3 280/4 280/5 280/6 280/7	0.813
273/1 273/2 273/3 273/4 273/5	0.456
274	0.282
272	0.035
271	0.116
268	0.109
270	0.004
267	0.015
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.058
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
317	0.128
260	0.063
72	0.620
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.811
अ+ब का योग . .	2.869

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 938-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—टीकर

(घ) लगभग क्षेत्रफल —38.252 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1680	0.597
1677/1 1677/2	0.337
1681	0.026
1682	0.026
1688	0.635
1674/1 1674/2 1674/3 1674/4 1674/5	1.803
1676/1 1676/2	0.723
1675	2.542
1813/1 1813/2 1813/3	0.061
2229/1 2229/2	1.781
2093/1 2093/2 2093/3 2093/4	0.421
2094	0.657
2218	0.399
2216/1 2216/2 2216/3 2216/4	0.074
2217/1 2217/2 2217/3 2217/4	0.257
2215	0.149
2220	0.030
2221	0.491
2222	0.045
3912/2215	0.214
2223/1 2223/2	0.955
2232	0.307
2233/1 2233/2	0.405
3906/2/2230 3906/3/2230 3906/4/2230 3906/5/2230 3906/6/2230 3906/7/2230 3906/2230	0.008
2235	0.943
2236	0.073
2237	0.117
2231/1 2231/2 2231/3 2231/4 2231/5 2231/6 2231/7 2231/8 2231/9 2231/10 2231/11 2231/12	0.319
3813/1 3813/2 3813/3 3813/4 3813/5 3813/6 3813/7 3813/8 3813/9 3813/10 3813/11	1.921
3767	0.387
3768	0.251
3770/1 3770/2	0.484
3756	0.348
3754	0.259

(1)	(2)
3755	0.073
3758/1	
3758/2	
3758/3	
3758/4	
3758/5	
3758/6	
3758/7	0.927
3758/8	
3758/9	
3758/10	
3758/11	
3758/12	
3758/13	
3759/1	
3759/2	
3759/3	
3759/4	
3759/5	
3759/6	
3759/7	
3759/8	
3759/9	
3759/10	
3759/11	
3759/12	
3759/13	
3759/14	2.832
3759/15	
3759/16	
3759/17	
3759/18	
3759/19	
3759/20	
3759/21	
3759/22	
3759/23	
3759/24	
3759/25	
3759/26	
3759/27	
3759/28	
3759/29	
3759/30	
3759/31	
3759/32	
3759/33	
3759/34	
3759/35	
3759/36	
3759/37	
3759/38	
3759/39	
3759/40	
3760/1	
3760/2	
3760/3	
3760/4	
3760/5	
3760/6	0.150
3760/7	
3760/8	
3760/9	
3760/10	
3760/11	
3730/1	
3730/2	
3730/3	
3730/4	
3730/5	
3730/6	2.952
3730/7	
3730/8	
3730/9	
3730/10	
3869/3730	0.041
3728	0.020
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग .	.25.040
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
1842/1	0.145
1842/2	
2234	0.209
3769	0.153
1683	0.156
1673	0.050
1692	2.636

(1)	(2)
1695	6.420
1694	1.211
1673	0.991
3814	1.142
3766	0.099
योग . .	13.212
अ+ब का योग . .	38.252

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 940-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—खाम्हडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.340 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
131	0.064
129/1, 129/2	0.134
130/1, 130/2	0.289
132	0.002
135	0.052
136	0.088
137/1, 137/2, 137/3	0.091
138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7, 138/8	1.053
139/1, 139/2, 139/3, 139/4, 139/5/1, 139/5/2, 139/5/3	0.022
141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5/1, 141/5/2, 141/5/3	0.194
140	0.294
25/1, 25/1/ग, 25/1/घ, 25/1/ङ/1, 25/1/ङ/2, 25/2, 25/3	0.080
156/1, 156/2	0.010
154	0.666
159	0.068
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.107
म. प्र. शासन की भूमि	
127	0.083
152	0.097
72	0.053
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.233
अ+ब का योग . .	3.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवां के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 942-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.880 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1136/1, 1136/2	0.158
1134/2, 1134/3, 1134/4, 1134/5, 1134/6, 1134/7, 1134/8	0.841
1133/2, 1133/3, 1133/4, 1133/5, 1133/1/क, 1133/1/ख, 1133/1/ग	0.049
1132/1, 1132/2, 1132/3	0.039
1131	0.124
1146/1, 1146/2	0.050
1145/1, 1145/2	0.218
1129	0.059
1147	0.102
1148	0.002
1128/1, 1128/1/1, 1128/2/क, 1128/2/ख, 1128/2, 1128/3	0.345
1150	0.040
1149/1, 1149/2, 1149/3	0.014
1151	0.032
1152/1, 1152/2	0.072
1156	0.059
1154	0.003
1155	0.100
1170	0.077
1171	0.025
1169	0.178
1174	0.026
1166/1/1, 1166/1/2, 1166/2	0.012
1175/1, 1175/2, 1175/3, 1175/3/1, 1175/4	0.166
1185	0.577
1186/1, 1186/2	0.006
1187	0.020
1188	0.002
1189	0.024
1190	0.030

(1)	(2)
1191/1, 1191/2, 1191/3, 1191/4	0.151
1193/1, 1193/2, 1193/3	0.186
1192/1, 1192/2	0.049
1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4	0.197
1212	0.007
1213	0.216
1214/1, 1214/2	0.274
1226	0.002
1225/1, 1225/2, 1225/3	0.435
1222/1, 1222/2, 1222/3	0.806
1224	0.008
1228	0.024
1229	0.024
1255	0.031
1254	0.078
1245	0.085
1246	0.003
1247	0.450
1252	0.032
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	6.508
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
914	0.073
1244	0.004
1253	0.190
1251	0.105
ब—म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.372
अ+ब का योग . .	6.880

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 944-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—भुसुनुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.485 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
79/1, 79/2, 79/3/क, 79/3/ख, 79/3/ग, 79/4	0.886
78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5	0.338
77/1, 77/2, 77/3	0.164
94	0.297
95	0.001
93	0.186
137	0.270

(1)	(2)
136	0.127
103	0.086
135	0.065
138	0.113
134	0.028
130/1, 130/2	0.084
131	0.138
132	0.077
128	0.061
129	0.022
127	0.273
125	0.038
126	0.023
124/1, 124/2, 124/3	0.550
120/1, 120/2	0.004
121/1, 121/2, 121/3	0.001
192/1, 192/2	0.159
123/1, 123/2, 123/3	0.137
117/1/क, 117/1/ख, 117/1/ग, 117/2	0.014
193/1, 193/2	0.749
208/1, 208/2	0.212
197	0.011
199	0.115
200	0.021
201	0.141
204	0.182
203	0.048
202	0.230
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	5.851

(1)	(2)
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
81	0.590
198 .	0.044
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.634
अ+ब का योग . .	6.485

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 920-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—शुकुलगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.832 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
171/1, 171/2, 171/3	0.461
172	0.016
168/1, 168/2	0.188
170/1, 170/2	0.030
169/1, 169/2	0.586

(1)	(2)
164/1 164/2	0.015
167/1 167/2	0.002
163/1 163/2	0.062
162	0.040
161	0.010
121	0.626
124	0.100
125	0.052
132	0.060
134	0.070
126/1 126/2	0.076
127/1 127/2	0.197
130	0.029
129	0.024
128	0.020
131	0.028
67	0.137
65	0.078
66	0.024
59/1 59/2	0.021
60	0.077
61	0.057
64	0.010
58	0.046
62	0.045
63	0.025
57	0.122
56	0.036
55	0.028
54	0.007
74/1, 74/2	0.221
75	0.107
76	0.097
166/1 166/2	0.002
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.832
ब—म. प्र. शासन की भूमि	0.000
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.000
अ+ब का योग . .	3.832

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''बहुती मुख्य सिचाई परियोजना'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 930-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—लढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.541 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
605	0.724
604	0.023
603/1 603/2 603/3	0.595
602/1 602/2	0.108
601/1/क 601/1/ख 601/2/1 601/2/2	0.350

(1)	(2)
600	0.305
599	0.201
598	0.235
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.541
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.000
अ+ब का योग . .	2.541

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 946-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—शिवपुरवा रानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —16.179 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1173/1, 1173/2, 1173/3, 1173/4	0.348
526/1, 526/2	0.052
525	0.271
524/1, 524/2	0.604
523	0.091
479/1, 479/2, 479/3	0.969
478/1, 478/2, 478/3, 478/4	0.683
446/1, 446/2	0.082
445	0.644
444	0.035
441/1, 441/2	0.600
437	0.006
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.385
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
520	0.025
521	1.385
677	0.363
678	0.070
679	0.373
680	0.661
681	7.073
1175/1, 1175/2	1.818
440	0.026
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	11.794
अ+ब का योग . .	16.179

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 948-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित

किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—गहिरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.192 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1037/1, 1037/2, 1037/3	0.147
1045/1, 1045/2, 1045/3	0.026
1039/1, 1039/2, 1039/3	0.002
1044/1, 1044/2, 1044/3	0.024
1046/1, 1046/2, 1046/3	0.094
1047/1, 1047/2, 1047/3	0.045
1048/1, 1048/2, 1048/3	0.067
1066/1, 1066/2, 1066/3, 1066/4	0.019
1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4	0.149
1069/1, 1069/2, 1069/3, 1069/4	0.143
1067/1, 1067/2, 1067/3, 1067/4	0.146
1068/1, 1068/2, 1068/3, 1068/4	0.045
1076/1/क, 1076/1/ख, 1076/2, 1076/3/ग, 1076/4/घ	0.554
1089/1, 1089/2	0.256
1090/1, 1090/2, 1090/3	0.193
1091/1	0.396
1094/1, 1094/2	0.465
1093	0.269
1092/2, 1092	0.029
1083	0.003
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.072
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
1038	0.053
1060	0.067
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.120
अ+ब का योग . .	3.192

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 950-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—सहिजना

(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.608 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
624/2	
624/3	
624/4	
624/5	
624/5/1	
624/6	
624/7	
624/8	
624/9	1.578
624/10	
624/11	
624/12	
624/13	
624/14	
624/15	
624/16	
624/17	
624/18	
624/19	
624/20	
624/21	
624/22	
624/23	
624/24	
624/25	
624/26	
624/27	
624/28	
624/29	
624/30	
624/31	
624/32	
624/33	
624/34	
624/35	
624/36	
624/37	
624/38	
624/39	
624/40	
624/41	
624/42	
624/43	
624/44	
624/45	
624/46	
624/47	
624/48	
624/49	
624/50	
624/51	
624/53	
624/54	
624/1	
624/52	
624/55	
623	0.264
589	0.003
584/4, 584	1.214
579	0.179
576/1, 576/1/ग	
576/2, 576/3, 576/4	0.132
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.370
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
621	0.217
622	0.090
625	0.931
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	1.238
अ+ब का योग . .	4.608

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 952-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—शिवपुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.058 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1071	1.523
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.523
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
1087	1.005
1090	0.530
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	1.535
अ+ब का योग . .	3.058

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 954-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—गुढ़वा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.282 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1142	0.012
1143/1/क 1143/1/क/1 1143/1/क/2 1143/1/ख 1143/2/क 1143/2/ख 1143/3 1143/4/क 1143/4/ख 1143/5/क 1143/5/ख 1143/6/क 1143/6/ख 1143/7 1143/8 1143/9 1143/10 1143/11 1143/12 1143/13 1143/14 1143/15 1143/16	0.579
1685	0.156
1684	0.462
1683	0.049
1670/1 1670/2	0.470
1677	0.277
1678	0.008
1676	0.002
1671	0.094
1663/1 1663/2	0.044
1662/1 1662/2	0.231

(1)	(2)
1664	0.083
1665/1	0.005
1665/2	
1661/1/क	
1661/1/ख	0.154
1661/1/ग	
1661/1/घ	
1661/2	
1661/3	
1659/1	
1659/2	
1659/3	
1659/4	0.144
1659/5	
1659/6	
1659/7	
1655/1	
1655/2/क	
1655/2/ख	
1655/3/क	
1655/3/ख	
1655/3/ग	0.073
1655/3/घ	
1655/3/ङ	
1655/3/च	
1655/3/छ	
1655/4	
1660/1	0.147
1660/2	
1650/1	
1650/2	
1650/3	
1650/4	
1650/5	
1650/6	0.164
1650/7	
1650/8	
1650/9	
1650/10	
1650/11	
1653/1	
1653/2	
1653/3	
1653/4	0.023
1653/5	
1653/6	
1653/7	
1653/8	
1653/9	
1652/1	
1652/2	
1652/3	
1652/4	
1652/5	
1652/6	0.560
1652/7	
1652/8	
1652/9	
1652/10	
1652/11	
1652/12	
1630/1	0.298
1630/2	
1626/1	0.113
1626/2	
1629/1	0.061
1626/2	
योग . .	4.209

ब—म. प्र. शासन की भूमि

1628	0.073
योग. .	0.073
अ+ब का योग . .	4.282

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 956-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा ,घोषित

किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—पांती
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.417 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1102/1, 1102/2, 1102/4, 1102/5	0.942
1127/1, 1127/2, 1127/3, 1127/4	0.909
942	0.695
929	0.475
941	0.001
930	0.161
926	0.100
925	0.075
922	0.007
920	0.169
919	0.026
918	0.028
917	0.092
913/1, 913/2/क, 913/2/ख	0.010
916/2, 916/1	0.786
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.476
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
924	0.365
1131	0.483
915	0.093
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.941
अ+ब का योग . .	5.417

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 958-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—हर्दी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —12.215 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1100	0.020
1102/1, 1102/2, 1102/3, 1102/4, 1102/5	0.367
1101	0.014
1105	0.003
1106/1, 1106/2	0.050
1099/1, 1099/2	0.386
1083	0.120
1084	0.136
1085/1, 1085/2, 1085/3, 1085/4	0.307
1081/1, 1081/2	0.002

(1)	(2)
1080	0.002
1087	0.010
1088	0.071
1090/1	0.001
1090/2	
1090/3	
1090/4	
950	0.600
943	0.117
949/1	0.194
949/2	
949/3	
944	0.097
948	0.005
946	0.028
945/1	0.186
945/2	
942	0.123
941	0.046
940	0.389
939	0.107
974	0.034
975	0.064
981	0.102
923	0.073
924/1	0.026
924/2	
925	0.070
922	0.469
918/1	0.154
918/2	
918/3	
917/1	0.202
917/2	
916/1	0.222
916/2	
916/3	
916/4	
909	0.268
911/1	0.171
911/2	
910	0.032
901	0.039
900/1	0.506
900/2	
900/3	
9004	

(1)	(2)
899	0.015
898	0.070
897	0.184
497/1	0.226
497/2	
497/3/1	
497/3/2	
497/4	
503/1	0.077
503/2	
503/3/1	
503/3/2	
503/4	
502/1	0.259
502/2	
502/3/1	
502/3/2	
502/4	
501/1	0.151
501/2	
501/3/1	
501/3/2	
501/4	
500/1	0.079
500/2	
499/1	0.016
499/2	0.012
499/3	0.012
499/4	0.016
498/1	0.318
498/2	
498/3	
498/4	
429/1	0.531
429/2	
429/3/1/क	
429/3/1/ख	
429/3/2/क	
429/3/2/ख	
429/4	
429/5	
429/7	
428	0.024
426	0.266
427	0.152

(1)	(2)
432	0.039
433	0.100
434	0.243
438	0.060
440	0.011
437	0.039
436	0.022
439/1 439/2	0.408
450	0.067
451	0.073
452/1/क 452/1/ख 452/2	0.033
453	0.380
457/1 457/2 457/6	0.501
462	0.019
463	0.012
464	0.003
461	0.010
458	0.070
460	0.280
1079	0.282
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग. .	10.873
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
394	0.086
454	0.024
455	0.103
459/1 459/2	0.748
921	0.025
1089	0.053
1097	0.045
1111	0.092
1129	0.137
920	0.029
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	1.342
अ+ब का योग . .	12.215

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 960-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—मड़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —13.666 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1495/1/1 1495/1/2 1495/1/3 1495/1/4 1495/1/5 1495/1/6	0.830
1495/2	
1580	0.265
1578/1 1578/1/क 1578/1/ख 1578/2 1578/3 1578/4	0.682
1576/1 1576/2 1576/3	0.760
1722	0.455
2297/1720	0.255
1724/1 1724/2	0.066

(1)	(2)
1737	0.483
1738	0.174
1739	0.765
1733/1, 1733/2	0.104
1731	0.027
1740	0.295
1741	0.307
1742	0.045
1743	0.253
2065	0.162
1744	0.211
1749	0.107
2034/1, 2034/2	0.390
2033	0.299
2119/1, 2119/2, 2119/3, 2119/4, 2119/5, 2119/6	0.781
2120	0.016
2111/1, 2111/2, 2111/3, 2111/4, 2111/5, 2111/6	0.492
2106/1/क, 2106/1/ख, 2106/1/ग, 2106/1/घ, 2106/1/ङ, 2106/1/च, 2106/1/छ, 2106/1/ज, 2106/1/झ, 2106/1/ञ, 2106/2	0.563
2105/1, 2105/2, 2105/3, 2105/4	0.040
2101	0.067
2102	0.247
2100	0.212
2089/1, 2089/2	0.043
2087	0.091
2098	0.310
2096	0.343
2095	0.202
2093	0.516
2094	0.001
2151	0.005
2152	0.324
2153	0273
2156	0.250
2157	0.002
2171	0.988
2170	0.024
2172	0.264
2174/1, 2174/2, 2174/3	0.009
1551/1, 1551/2	0.011
2035/1, 2035/2	0.232
2036/1, 2036/2	0.108
2037	0.034
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	13.383
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
1574	0.094
2135	0.113
2173	0.076
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.283
अ+ब का योग . .	13.666

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 962-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—बांसा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —13.843 हेक्टेयर.

अ—निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
1745	1.049
1627/1, 1627/2, 1627/3, 1627/4	0.186
1626	1.182
1625/1, 1625/2, 1625/3	0.036
1624/1, 1624/2, 1624/3	0.372
1749/1, 1749/2, 1749/3	0.052
1750, 1750/2, 1750/3	0.005
1751, 1751/2, 1751/3	0.147
1752, 1752/2, 1752/3	0.019
1753/1, 1753/2, 1753/3	0.054
1754/1, 1754/2, 1754/3	0.271
1755/1, 1755/2, 1755/3, 1755/4	0.462
1756/1, 1756/2, 1756/3, 1756/4, 1756/5, 1756/6, 1756/7	0.453
1781	0.192
1982	0.361
1786	0.081
1744	0.366
1785/1, 1785/2	0.265
1787/1, 1787/2, 1787/3, 1787/4	0.565
1156/1, 1156/2/1, 1156/2/2, 1156/2/3, 1156/2/क, 1156/3, 1156/4	0.508
1154	0.181
1153	0.027
1150/1, 1150/2	0.159
1170/1, 1170/2/1, 1170/2/2, 1170/2/3	0.404
1171/1, 1171/2	0.333

(1)	(2)
1136	0.691
1139	0.064
1131/2 1131/3 1131/4	0.164
1135	0.086
1134	0.082
1133	0.274
1108/1 1108/2	0.580
1107	0.046
1109/1 1109/2	0.045
942	0.026
940	0.048
939	0.234
937	0.068
936	0.036
944	0.129
950/1 950/2	0.003
952/1 952/2/1 952/2/2 952/3 952/4	0.458
951/1 951/2	0.012
953/1 953/2 953/3	0.098
903/1 903/2 903/3 903/4	0.073
857/1 857/1/क 857/1/ख 857/2 857/3 857/4	0.386
901	0.330
899	0.592
879	0.046
878	0.006
882/1 882/2	0.002
881	0.126
880	0.137
873/1 873/2 873/3	0.047
886	0.149
885	0.080
888/1 888/2	0.056
1774	0.366
1784	0.003
1097	0.419
941	0.005
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग..	13.697
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
1780	0.044
1742	0.047
1741	0.055
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.146
अ+ब का योग . .	13.843

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 964-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—बरसैता

(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.973 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
176/1, 176/2	0.062
177/1, 177/2, 177/3	0.023
183/1	0.032
183/2	0.029
184	0.057
185	0.016
186/1, 186/2	0.041
188	0.077
190	0.010
191/1	0.048
191/2	0.049
192	0.027
196/1/1, 196/1/2, 196/2	0.527
197	0.030
198	0.034
199	0.077
200	0.043
205	0.027
206	0.066
207/1, 207/2	0.038
208	0.032
209	0.033
211	0.083
212	0.030
213	0.058
214/1, 214/2	0.017
225/1, 225/2	0.003
227	0.059
228/1, 228/2	0.234
229	0.028
230	0.034
231	0.073
232	0.053
233	0.029
234	0.025
235/1, 235/2	0.010
237	0.007
238	0.045
239	0.050
240	0.120
241	0.022
261	0.213
262	0.107
263	0.008
289	0.206
292/1, 292/2, 292/3	0.012
293/1, 293/2, 293/3	0.293
294/1/1/1, 294/1/1, 294/1/2, 294/2	0.023
295	0.047
426	0.011
428	0.180
429	0.107
430	0.008
431	0.035
486	0.065
487	0.009
488	0.069
489	0.052
490/1, 490/2	0.008
491/1, 491/1/1, 491/2	0.153

(1)	(2)
493	0.083
494/1 494/2	0.140
495	0.036
496	0.133
497/1	0.033
498	0.005
562	0.025
563	0.024
564	0.002
565/1 565/2	0.066
567/1 567/2	0.007
568	0.036
569	0.146
570	0.038
572	0.028
573/1	0.008
573/2	0.020
573/3	0.016
573/4	0.008
573/5	0.012
573/6	0.008
574	0.008
575	0.042
576	0.066
577	0.059
581	0.014
582	0.097
583	0.032
584	0.057
585	0.029
593/1 593/2	0.139
594	0.042
595/1 595/2	0.045
596	0.043
597/1 597/2	0.014
598	0.221
599	0.025
600	0.019
566/1 566/2	0.054
187/1 187/2	0.103
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग..	5.947
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
290	0.026
ब—म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.026
अ+ब का योग . .	5.973

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 अगस्त 2014

प. क्र. 970-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बदवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —18.586 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
5224/1 5224/2	0.049
5223	0.014
5225	0.038
5226	0.245
5227	0.262

(1)	(2)	(1)	(2)
5220	0.003	5315	0.023
5228/1		5279	0.038
5228/2	0.138	5280/1	
5228/3		5280/2	0.004
5247/1	0.197	5280/3	
5247/2		5280/4	
5245	0.012	5312	0.035
5248/1	0.092	5313	0.144
5248/2		5318	0.053
5246	0.080	5317	0.041
5250	0.120	5322/1	0.091
5255	0.036	5322/2	
5254	0.043	5320/1	0.318
5253	0.083	5320/2	
5256/1		5319	0.050
5256/2	0.237	5321/1	
5256/3		5321/2	0.165
5252	0.016	5321/3	
5170/1		5222	0.066
5170/2	0.024	5353/1	0.028
5170/3		5353/2	0.024
5258/1	0.002	5325/1	
5258/2		5325/2	0.405
5257/1	0.038	5325/3	
5257/2		5324	0.099
5267/1	0.123	5540	0.015
5267/2		5556	0.040
5264/1		5578	0.025
5264/2	0.025	5579	0.212
5264/3		5569	0.552
5265/1		5570	0.010
5265/2	0.024	5568	0.056
5265/3		5567	0.077
5266	0.139	5571	0.080
5277	0.271	5564	0.020
5276	0.042	5565	0.035
5275/1	0.260	5566	0.032
5275/2		5561	0.015
5278	0.006	5562	0.007
5274/1	0.026	5560	0.025
5274/2		5557	0.049
5273/1	0.058	5559	0.028
5273/2		5553	0.012
5314	0.089	5554	0.066

(1)	(2)	(1)	(2)
5555	0.029	4582/1	
5558	0.036	4582/2	
5552	0.028	4582/3	0.053
5436	0.002	4582/4	
5437	0.006	4582/5	
5543/1		4583/1	
5543/2	0.007	4583/2	0.120
5543/3		4583/3	
5542	0.026	5484	0.244
5541	0.053	4585	0.022
5438	0.036	4506	0.157
5441	0.015	4586	0.016
5440	0.040	4505	0.020
5439	0.032	4507	0.036
5452	0.037	4503	0.040
5466	0.051	4504	0.019
5467	0.045	4500	0.039
5462	0.011	4501	0.298
5464	0.002	4502	0.015
5465/1		4509	0.001
5465/2		4512	0.432
5465/3	0.015	4513	0.085
5465/4		4514/1	
5465/5		4514/2	0.123
5463/1		4514/3	
5463/2	0.213	4514/4	
5463/3		4515/1	0.151
5463/4		4515/2	
5454	0.019	4516	0.036
5455	0.142	4517	0.019
5456	0.009	4534	0.019
5450	0.017	4535	0.014
5451	0.053	4536/1	
5453	0.002	4536/2	0.028
4644	0.044	4536/3	
4631	0.081	4537	0.036
4630	0.042	4538/1	
4629	0.004	4538/2	0.062
4643	0.004	4538/3	
4632	0.048	4539	0.002
4633	0.045	4295/1	
4626	0.098	4295/2	0.486
4634	0.019	4295/3	
4635	0.027	4295/4	

(1)	(2)
4296	0.012
4297	0.072
4298	0.020
4299	0.008
4294	0.059
4300/1	0.040
4300/2	
4293	0.207
4182	0.022
4194	0.012
4196	0.020
4195	0.010
4197	0.015
4201	0.020
4198	0.101
4290	0.037
4289	0.032
4287	0.028
4288	0.032
4199/1	0.010
4199/2	0.030
4200	0.027
4205	0.009
4284/1	0.154
4284/2	
4285	0.018
4286	0.003
2961	0.053
4283	0.084
4282	0.068
4280	0.045
4281	0.037
2962	0.109
2960	0.058
4261	0.016
4262/1	0.039
4262/2	
2963	0.069
2964	0.040
2959	0.012
2965	0.073
2969	0.087
2970/1	0.041
2970/2	
2971	0.015

(1)	(2)
2968	0.061
2967	0.002
2977	0.086
2966	0.002
3057	0.004
3058	0.028
3059	0.289
3074/1	0.030
3074/2	
3063	0.014
3064	0.040
3071	0.065
3072	0.026
3073	0.128
3080	0.041
3081	0.069
3068	0.001
3069	0.067
3070	0.012
3170	0.085
3171	0.087
3082	0.025
3079	0.002
3083	0.019
3168	0.038
3169	0.042
3172	0.047
3176	0.024
3177	0.013
3173	0.045
3174	0.057
3167	0.056
3175	0.061
3180	0.001
3182	0.047
3181	0.016
3161	0.025
3162	0.069
3163	0.105
3164	0.014
3165	0.023
3155	0.047
3183	0.109
3184	0.001

(1)	(2)
3153	0.026
3154	0.085
3130	0.005
3131	0.101
3132	0.081
3133	0.008
3147	0.021
3148	0.006
3141	0.020
3142	0.050
3143	0.024
3144	0.009
3134	0.013
3140/1 3140/2	0.090
3135/1 3135/2	0.002
3137	0.078
3138	0.068
3139	0.002
3136/1 3136/2	0.079
2808	0.009
2807/1 2807/2	0.093
3401	0.003
3405	0.017
3406	0.036
3407	0.039
3408	0.082
2806	0.019
3415	0.104
3416	0.027
3417	0.004
3433	0.010
3434	0.027
3412	0.082
3413	0.012
3414	0.053

(1)	(2)
3441	0.004
1112	0.045
1111	0.073
1125	0.022
1109	0.091
1110	0.021
1126	0.053
1124	0.004
1127	0.124
1128	0.001
1105	0.033
1129	0.058
1100	0.049
1101	0.049
1102	0.062
1103	0.003
1104	0.035
1130	0.018
1087	0.014
1088	0.036
1064	0.095
1065	0.018
1099	0.019
1089	0.011
1090	0.016
1091	0.020
1061	0.005
1063	0.150
1163	0.054
1167	0.026
1164	0.004
1166	0.015
1168	0.098
1169	0.035
1175	0.124
1174	0.052
1176	0.040
1173	0.080
1183	0.021

(1)	(2)
1184	0.107
1185	0.043
1194	0.087
1195	0.025
1187	0.107
1188	0.096
1189	0.096
1190	0.014
1193	0.011
817	0.140
818	0.117
819/1 819/2	0.052
813	0.002
810	0.073
811	0.024
826/1 826/2 826/3	0.071
809	0.088
827	0.063
796	0.101
798	0.279
786/1 786/2	0.079
787	0.081
1186	0.003
921	0.003
820/1 820/2	0.009
795	0.082
838	0.048
793	0.008
794	0.048
791	0.006
784	0.001
785	0.025
782	0.005
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग..	18.567
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
4291	0.019
म.प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.019
अ+ब का योग . .	18.586

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 972-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—पतेला गुड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.234 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
28	0.092
26	0.134
25	0.008
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग..	0.234
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग. .	0.000
अ+ब का योग . .	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 974-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—पटपरा
(घ) क्षेत्रफल —6.043 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/1	0.100
266/1/क/2, 266/1/क/4, 266/1/क/5, 266/1/क/6, 266/2/क, 266/1/क/1, 266/1/क/3, 266/3, 266/4, 266/5, 266/1/ख, 266/6, 266/2/ग, 266/2/ख	0.097
258/1, 258/3, 258/2	0.674
257/1, 257/2	0.304
256/2, 256/3, 256/1/क/2/ख, 256/1/घ, 256/1/ख, 256/1/क/2, 256/1/क/3, 256/1/क/1/ख, 256/1//क/4, 256/1/क/1/क, 256/1/ग	1.057
20	0.921
21	0.123
22/1, 22/2	0.083
23/1, 23/2	0.083
25/1, 25/2, 25/3	0.440
26/2, 26/1	0.041
27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6	0.374
28	0.234
29	0.244
30/1, 30/2	0.227
33/1/क, 33/1/ख, 33/1/ग, 33/1/घ, 33/2/क, 33/2/ख, 33/2/ग, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7	0.542
34	0.168
36	0.024
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग :	5.736

(1)	(2)
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
35	0.016
37	0.117
16	0.174
म. प्र. शासन की भूमि का योग	: 0.307
अ+ब का योग	: 6.043

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 976-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—सगरा
(घ) क्षेत्रफल —5.132 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
170/1, 170/2	0.038
940/1/170, 940/2/170	0.004
936/164	0.024
164	0.044
935/1/क/163, 935/2/163, 935/1/ख/163	0.020
163/1, 163/2	0.061
927/2/136, 927/1/136	0.040
126/3, 126/2, 126/1, 126/5, 126/4	0.172
926/124	0.024
124	0.158
925/123	0.032
123/3, 123/1, 123/2	0.170
111/2, 111/1	0.083
112/2, 112/1, 112/3	0.240
110/1, 110/2	0.278
109/1/क, 109/1/ख, 109/2	0.170
108/1/ख, 108/2, 108/1/क	0.185
42/3, 42/4, 42/1, 42/2	0.625
38	0.292
39/2, 39/1/ख, 39/3	0.515
39/1/क, 40/1/ख, 40/3/ख, 40/3/ग, 40/2, 40/5, 40/4, 40/1/क, 40/6	0.561
11	0.088
9	0.214

(1)	(2)
8/1/क/1 8/1/क/2 8/1/क/3 8/1/क/4 8/2	0.160
13/4 13/2 13/3 13/1/ख 13/1/क	0.028
14/5 14/1/ख 14/4 14/1/क 14/2 14/3	0.326
15	0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	: 4.555
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
6/1 6/2	0.373
206	0.204
म. प्र. शासन की भूमि का योग	: 0.577
अ+ब का योग	: 5.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 978-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—रेरूआ
(घ) क्षेत्रफल —1.692 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
442/1, 442/2	0.010
440	0.018
439/1/1, 439/1/2	0.049
438	0.076
437	0.085
419	0.084
418	0.056
417	0.048
414/1, 414/2	0.079
413	0.306
412	0.065
410/1, 410/2	0.413
411	0.067
386	0.207
385	0.139
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	: 1.692
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
ब—म. प्र. शासन की भूमि का योग	: 0.000
अ+ब का योग	: 1.692

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 980-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—पतेला तिवारी

(घ) क्षेत्रफल —2.144 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
80/1, 80/2	0.335
78	0.031
76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6	0.532
77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5	0.040
57	0.092
58	0.137
59/1, 59/2	0.083
60/1, 60/2	0.180
51/1/क, 51/1/ख, 51/1/ग	0.032
64/1, 64/2, 64/3	0.041
65	0.158
34	0.229
33	0.241
61/1, 61/2	0.013
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	: 2.144
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग	: 0.000
अ+ब का योग	: 2.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 982-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—अमराडाड़ी

(घ) क्षेत्रफल —0.066 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
2	0.060
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	: 0.060
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
1	0.006
म. प्र. शासन की भूमि का योग	: 0.006
अ+ब का योग	: 0.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 984-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—रघुराजगढ़

(घ) क्षेत्रफल —9.518 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1149	0.485

(1)	(2)
1145	0.153
1148	0.394
1147	0.366
1146	0.366
1256	0.743
1196	0.042
1255	0.072
1207	0.051
1209	0.063
1210	0.170
1208	0.390
704/1, 704/2	1.002
1212	0.029
1249	0.005
1213	0.035
1214	0.012
1215	0.079
1216/1, 1216/2	0.098
1218	0.158
1219	0.041
698	0.066
1220	0.008
699/1, 699/2, 699/3, 699/4	0.386
700/1, 700/2, 700/3, 700/4	0.027
697/1, 697/2, 697/3, 697/4, 697/5, 697/6, 697/7	0.005
701	0.338
696/1, 696/2, 696/3, 696/4, 696/5, 696/6, 696/7	0.254
620/1, 620/2, 620/3	0.216
622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 622/7	0.056
621/1, 621/2, 621/3, 621/4	0.866
624	0.175
625	0.023
626	0.001
615/1, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5, 615/6, 615/7	0.829
599	0.143
598	0.288
600/1, 600/2	0.186
604	0.475
605	0.333
606	0.056
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	: 9.485

ब—म. प्र. शासन की भूमि

669	0.028
1191	0.005
म. प्र. शासन की भूमि का योग	: 0.033
अ+ब का योग	: 9.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 986-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज

(ग) ग्राम—सरई कृष्णकुमार

(घ) क्षेत्रफल —3.758 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
206/1, 206/2, 206/3, 206/4	0.132
205	0.026
204/1/क, 204/1/ख, 204/1/ग, 204/2, 204/3	0.566
203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5	0.009
202/1/क, 202/1/ख दुमट II, 202/1/ग, 202/1/घ, 202/1/ङ, 202/1/च, 202/2/ख, 202/2/ग, 202/क	0.384
200/1, 200/2	0.138
199/1, 199/2, 199/2/क	0.327
198/1, 198/2	0.036
197/1, 197/2, 197/3, 197/4	0.044
175/1, 175/2, 175/3, 175/4	0.597
142	0.170
143/1, 143/2	0.161
148	0.161
147/1, 147/2, 147/3/क, 147/3/ख	0.154
146/1, 146/2	0.031
15	0.091
16	0.036
17	0.202
18/1, 18/2, 18/3/क, 18/3/ख	0.304
201	0.019
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	: 3.588
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
1	0.027
207	0.018
218	0.089
219/218	0.036
म. प्र. शासन की भूमि का योग	: 0.170
अ+ब का योग	: 3.758

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 988-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—खुरहा

(घ) क्षेत्रफल —4.770 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
102/1, 102/2 102/3, 102/4	0.002
144	0.015
136/1, 136/2, 136/3	0.990
135/1, 135/2	0.062
137	0.001
131/1, 131/2	0.045
134	0.053
132	0.056
103/1, 103/2	0.122
133	0.212
106	0.108
118	0.196
107	0.278
117/1, 117/2	0.050
108/1, 108/2	0.090
116/1, 116/2	0.019
110	0.270
112/1, 112/2	0.069
111/1, 111/2	0.335
30	0.034
31	0.155
34	0.264
32	0.012
33	0.432
25	0.336
24	0.253
23	0.265
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	: 4.724
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
109	0.046
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग	: 0.046
अ+ब का योग	: 4.770

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 990-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—पतेला पुड़िहन

(घ) क्षेत्रफल —1.549 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
65	0.392
64	0.001
63	0.057
62	0.282
67/1, 67/2	0.007
43	0.002
58/1 58/2 58/3 58/4 58/5	0.091
57/1, 57/2, 57/3	0.151
56	0.032
59	0.103
60	0.055
61	0.002
54	0.212
53	0.103
52	0.059
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	: 1.549
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग	: 0.000
अ+ब का योग	: 1.549

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 992-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—दुरौंध
(घ) क्षेत्रफल —2.319 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6	0.700
2	0.081
4	0.503
5/1, 5/2	0.114
6	0.429
7	0.338
11/1, 11/2	0.004
8	0.150
अ. निजी भूमि का योग	: 2.319
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग	: 0.000
अ+ब का योग	: 2.319

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 994-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—अमवा
(घ) क्षेत्रफल —10.035 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
160	0.353
217/1, 217/2	0.160
218/1, 218/2	0.573
212/1, 212/2	0.926
211/1, 211/2	0.046
210/1, 210/2	0.700
209/1, 209/2	0.022
208/1, 208/2, 208/3	0.884
205/1, 205/2	0.218
203/1, 203/1/1, 203/2, 203/3	0.087
292	0.083
298	0.038
295	0.302
297	0.040
296	0.500
434/1, 434/2	0.202
433	0.325

(1)	(2)
428	0.204
432/1, 432/2	0.001
439/1, 439/2	0.001
426	0.007
427	0.013
442/1, 442/2	0.249
443	0.017
444	0.224
445	0.034
447	0.233
448	0.032
449	0.023
450	0.027
396	0.090
395	0.020
394	0.122
397	0.033
398	0.009
400	0.027
403	0.063
401	0.108
390	0.019
404	0.439
351	0.334
352/1, 352/2	0.495
363	0.007
358	0.100
360	0.006
359	0.066
355	0.049
357	0.683
356	0.022
399	0.154
अ. निजी की भूमि का योग :	9.370
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
124	0.052
293	0.360
294	0.190
207	0.063
म. प्र. शासन की भूमि का योग :	0.665
अ+ब का योग :	10.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 996-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—कोठी

(घ) क्षेत्रफल—3.365 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
8	0.013
9	0.009
10	0.261
11	0.018
12	0.360
16/1, 16/2	0.783
13/1, 13/2	0.080
17/1, 17/2	0.445
18	0.039
19/1, 19/2	0.227
20	0.011
21	0.315
24	0.150
25/1, 25/2	0.172
26/1, 26/2, 26/3	0.362
22	0.063
23	0.057
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग :	3.365
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
योग :	0.000
अ+ब का योग :	3.365

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 998-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—उलही खुर्द
(घ) क्षेत्रफल—6.610 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
14	0.211
15	0.072
27/1, 27/2	1.491
25	0.265
26	0.002
24	0.065
56	0.592
58/1, 58/2	0.518
82	0.013
81/1, 81/2	0.658
80	0.500
63/1 63/2 63/3 63/4 63/5 63/6 63/7 63/8 63/9 63/10 63/11 63/12 63/13 63/14	0.423
63/15 63/16 63/17 63/18 63/19 63/20 63/21 63/22 63/23 63/24 63/25 63/26 63/27 63/28 63/29 63/30 63/31 63/32 63/33 63/34 63/35 63/36 63/37 63/38 63/39 63/40 63/41 63/42 63/43 63/44 63/45 63/46	
79	0.133
72	0.005
71	0.040
68	0.002
67	0.053
66/1 66/1/ 66/2 66/3	1.440
70	0.008
69	0.119
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	: 6.610

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.000

अ+ब का योग : 6.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1000-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—भोथी

(घ) क्षेत्रफल—4.577 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
99	0.200
98	0.024
175	0.022
101	0.150
100	0.052
97	0.035
95	0.100
103	0.040
102	0.022
94	0.184
105	0.026
90	0.041
91	0.022
93	0.053
87/1, 87/2	0.160
110	0.073
109/1, 109/2	0.030
111	0.090
112	0.091
142	0.016
108/1, 108/2	0.113
143	0.055
115	0.045
116	0.066
141	0.400
146	0.015
140	0.090
137	0.019
136	0.385
257/1, 257/2	0.035
256/1, 256/2	0.342
258	0.092
255	0.072
254	0.062
261	0.280
260/1, 260/2	0.203
262	0.101
263	0.065
271/1, 271/2, 271/3	0.011
270/1, 270/2	0.045
269	0.047
264	0.058
265	0.046
327	0.110
326	0.201
328	0.160
92	0.028
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	: 4.577

ब—म. प्र. शासन की भूमि

योग : 0.000

अ+ब का योग : 4.577

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1002-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—अटरा
(घ) क्षेत्रफल—4.018 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
241/2/क/2, 241/2/क/1, 241/5, 241/2/ख, 241/2/ग, 241/1, 241/4, 241/3	0.557
270/1/ख, 270/1क, 270/2	0.052
271/1/ख, 271/क, 271/2	0.353
272/1/ख, 272/1/क, 272/2, 272/3	0.033
232/1, 232/2	0.216
277/2, 277/1	0.033
278/2, 278/1	0.115
279/1, 279/2	0.128
203/3, 203/5, 203/4, 203/1/क/1, 203/1/क/2, 203/2	0.411
204/1, 204/2, 203/3	0.196
200	0.062
197 शा. न. 198	0.132
199/1, 199/2, 199/3	0.199
196	0.065
195/3, 195/2, 195/1	0.086
194 शामिल नं. 193	0.404
150/1, 150/3, 150/2	0.141
148/2, 148/1	0.187
147	0.106
144	0.148
143	0.068
142/2, 142/1, 142/3	0.154
81/2, 81/1/क, 81/1/ख	0.068
80/3, 80/2, 80/1	0.028
74/5, 74/7, 74/8, 74/6, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4	0.035
72	0.002
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	: 3.979
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
280	0.039
म. प्र. शासन की भूमि का योग	: 0.039
अ+ब का योग	: 4.018

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 5 अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची

के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—बुढ़ार
(ग) ग्राम—बकहो, पटवारी ह. नं. 134
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.292 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1387	0.292
योग . .	0.292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 78 से प्रभावित ग्राम बकहो रकबा 0.292 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 27 अगस्त 2014

भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 323-एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पंधाना
(ग) ग्राम—अर्दलाखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.00 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59	0.13
61	0.12
226/2	044
192/1	0.18
210/1	0.13
योग . .	1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अर्दला तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 321-एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पंधाना
(ग) ग्राम—जामलीराजगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.00 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24	0.14
26	0.09
27	0.04
28	0.04
29	0.01
34	0.60
90	0.03
98/1	0.144

(1)	(2)
98/1/1	0.006
98/3	0.01
104	0.22
105	0.13
106	0.22
107	0.07
192	0.40
195	0.67
196	0.30
197	1.00
201/2	3.00
277	0.47
276	0.36
275	0.85
274/1	0.13
209	0.60
218	0.20
219	0.24
220	0.58
221	1.08
229	0.30
231	0.10
253/1	3.38
254	0.34
252/1	3.21
241/1	0.40
252/2	2.27
179/1	0.20
217	0.14
224/1	0.03
कुल योग . .	22.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अर्दला तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 322-एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पंधाना
(ग) ग्राम—दीवाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.14 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
62	0.14
कुल योग . .	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अर्दला तालाब योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 324-एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पंधाना
(ग) ग्राम—राझोलाखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.62 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
206	0.62
कुल योग . .	0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अर्दला तालाब योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-13-14-नस्ती क्र. -एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—नावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.34 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
534	0.18
535	0.18
522	0.20
433	0.21
516	0.20
472	0.16
306/3	0.10
443	0.05
444	0.06
कुल योग . .	1.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नावली तालाब योजना के अन्तर्गत नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-13-14-नस्ती क्र. -एल.ए.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—सहेजला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.72 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66/4	0.54
66/2	0.15
105	0.35
63	0.19
61	0.33
51/1	1.36
165/7	0.50
165/6	0.20
111/1	1.00
112	0.30
29	0.12
27/1	0.40
41/1	1.14
42/1	0.64
121/2	0.50
59/1	1.00
64	0.15
33/1	0.30
74/1	0.30
74/2	0.15
75/1	0.10
कुल योग . .	9.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नावली तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2014

क्र. 6156-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (भूमरिया तालाब के केनाल स्केप प्लांटेशन एवं स्पाईल बेंक में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर

(ग) ग्राम—भूमरिया, विनायंकबे

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.531 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम-भूमरिया क्षेत्रफल 2.289 हेक्टेयर	
440/1/1	0.405
440/1/2	0.404
442/2/1	0.140
441/665	0.479
442/1/1	0.026
442/1/2	0.026
440/2	0.809
योग. .	2.289
ग्राम-विनायकबे क्षेत्रफल 0.242 हेक्टेयर	
137	0.242
योग . .	0.242
महायोग .	.2.531

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—(भूमरिया तालाब के केनाल स्केप प्लांटेशन एवं स्पाईल बेंक में प्रभावित भूमि) के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. क / भू.-अर्जन-2013-प्र. क्र. 9-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बंडा

(ग) ग्राम—खजरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.190 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
97/2	1.000
111/2	0.050
112/2	0.140
योग . .	1.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू.-अर्जन-2014-प्र. क्र. 10-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बंडा
(ग) ग्राम—बमाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.010 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(1)	(2)
393	0.010
136/4	0.170
2/4	0.590
136/5	0.240
योग . .	1.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू.-अर्जन-2013-प्र. क्र. 11-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बंडा
(ग) ग्राम—ओडाहो
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.830 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(1)	(2)
129/4	0.400
129/5	0.430
योग . .	0.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू.-अर्जन-2013-प्र. क्र. 12-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बंडा
(ग) ग्राम—पगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.880 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(1)	(2)
356	0.880
योग . .	0.880

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू.-अर्जन-2013-प्र. क्र. 13-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़
(ग) ग्राम—चकेरी शाहगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.790 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(1)	(2)
313	1.790
योग . .	1.790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू.-अर्जन-2013-प्र. क्र. 14-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़
(ग) ग्राम—भीकमपुर आबाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.550 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(1)	(2)
84/134	0.550
योग . .	0.550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी बंडा, एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र सिंह रावत, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 15th July 2014

No. 840-Confdl.-2014-II-2-1-2014.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Advance Course for Additional District Judges (promoted in the year 2014) from 1st to 7th August 2014** in the Academy, Additional District Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.

2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 1st August 2014 in the Lecture Room of MPSJA at Jabalpur.

3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.

4. The participants shall send one copy each of the following to the Academy sufficiently in advance, i.e. latest by 3rd week on July, 2014 and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the Advance course :—

   (i) Judgment in Sessions case (contested)
   (ii) Judgment in Civil Suit (contested)
   (iii) Judgment in regular Civil Appeal
   (iv) Judgment in Criminal Appeal
   (v) Order in Criminal Appeal
   (vi) Order/Award passed in Motor Accident Claim case.

5. The participant may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy by Fax (No. 0761-2628679) sufficiently in advance.

6. The Participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs, if provided by the High Court.

7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.

8. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival. The Academy shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Academy.

   The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam, A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles.

9. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the MPSJA building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules. However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.

10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p. m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m. on the succeeding day of the end of training.

11. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course, free of charge.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
VED PRAKASH, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. C-2978-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 19 मई से 2 जून 2014 तक पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 3 से 7 जून 2014 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 मई 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2980-दो-3-420-80 भाग-दस.—श्री शिव नारायण खरे, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2014 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 173 दिवस (एक सौ तिहत्तर दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19/03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री शिव नारायण खरे, सेवानिवृत्त, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा का नियुक्ति दिनांक.	:	2-12-1985
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	30-6-2014
3.	नियुक्ति दिनांक 2-12-1985 से दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि.	:	1 वर्ष 3 माह
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	27 वर्ष 3 माह
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	1×15=15 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	26=13×15=195 1×7= 7 दिन.
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	217 दिन
8.	**घटाईये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	44 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	173 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-2982-दो-2-19-2007.—श्री आर. पी. वर्मा, तत्कालीन प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इन्दौर, खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

संशोधित आदेश

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2014

क्र. B-3914-दो-2-20-2006.—श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को उनके आवेदन-पत्र दिनांक 3 जुलाई 2014 के निवेदन अनुसार रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-2651, दिनांक 24 जून 2014 के अन्तर्गत स्वीकृत वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि को संशोधित करते हुए ब्लाक वर्ष 2011 से 2013 तक की अवधि के लिए 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B-3918-दो-2-37-2005.—श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 16 से 21 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4524-दो-2-61-2011.—श्री ए. के. पाण्डे, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से दिनांक 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-4526-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 3 से 5 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवाकश के पश्चात् में दिनांक 6 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्र. C-4048-दो-3-51-2003.—श्री के. सी. गर्ग, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गर्ग, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4050-दो-2-26-2014.—श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 30 जून से 5 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. C-4052-दो-2-49-2007.—श्री गिरिराज किशोर शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 16 से 19 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री गिरिराज किशोर शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरिराज किशोर शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4054-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 16 जून 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4060-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 28 से 30 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4062-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 17 से 21 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4064-दो-2-9-2011.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 10 से 14 मार्च 2014 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा उसके स्थान पर दिनांक 10 से 14 मार्च 2014 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. C-4068-दो-2-14-2014.—श्री अमरनाथ, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को दिनांक 14 से 18 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4070-दो-2-20-2005.—श्री दिनेश कुमार पालीवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 2 से 31 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार पालीवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार पालीवाल, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4072-दो-3-47-2003.—श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 2 से 13 जून 2014 तक बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 से 17 जून 2014 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4074-दो-2-14-2013.—श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 30 जून से 2 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वी. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4076-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 1 से 2 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2014

क्र. 843-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री राकेश कुमार (गुप्ता), सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 07, विद्युत अधिनियम, 2003, इन्दौर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. 868-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्र. 904-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री सभापति यादव, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2014

क्र. 980-गोपनीय-2014-II-2-33-57 (Pt.-11).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री श्रीराम शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से कुमारी मीना सिंह के स्थान पर.
2	कुमारी मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से श्री श्रीराम शर्मा के स्थान पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्र. D-4654-दो-2-53-2011.—श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 अगस्त से 6 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 अगस्त 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 7 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 26th July 2014

No. B-3825-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Vaibhav Mandloi, Presiding Officer of the Court of IIIrd Additional Sessions Judge Burhanpur for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter, Burhanpur.

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

क्र. बी-3951-तीन-10-42-75 (शहडोल-बुढार).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल अपने घोषित कार्यस्थल शहडोल के अतिरिक्त, बुढार में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3951-III-10-42-75 (Shahdol-Budhar).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Upendra Kumar Sonkar, IInd Addl. Distt. & Session Judge, Shahdol in addition to his place of sitting declared at Shahdol, shall also sit at Budhar for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court there.

क्र. बी-3953-तीन-10-42-75 (सागर-बण्डा).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री योगेश कुमार गुप्ता, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर अपने घोषित कार्यस्थल सागर के अतिरिक्त, बण्डा में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3953-III-10-42-75 (Sagar-Banda).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Yogesh Kumar Gupta, IInd Addl. Distt. & Session Judge, Sagar in addition to his place of sitting declared at Sagar, shall also sit at Banda for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court there.

क्र. बी-3955-तीन-10-42-75 (मण्डला-निवास).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला अपने घोषित कार्यस्थल मण्डला के अतिरिक्त, निवास में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3955-III-10-42-75 (Mandla-Niwas).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Virendra Kumar Pandey, IInd Addl. Distt. & Session Judge, Mandla in addition to his place of sitting declared at Mandla, shall also sit at Niwas for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court of there.

क्र. बी-3957-तीन-10-42-75 (छिन्दवाड़ा-सौंसर).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री जोसेफ माईकल राव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा अपने घोषित कार्यस्थल छिन्दवाड़ा के अतिरिक्त, सौंसर में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3957-III-10-42-75 (Chhindwara-Sausar).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Joseph Michel Rao, AJ to Ist Addl. Distt. & Session Judge, Chhindwara in addition to his place of sitting declared at Chhindwara, shall also sit at Sausar for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court of there.

क्र. बी-3959-तीन-10-42-75 (सिवनी-लखनादौन).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री संजय कृष्ण जोशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी अपने घोषित कार्यस्थल सिवनी के अतिरिक्त, लखनादौन में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3959-III-10-42-75 (Seoni-Lakhnadon).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the

Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Sanjay Krishna Joshi, IInd Addl. Distt. & Session Judge, Seoni in addition to his place of sitting declared at Seoni, shall also sit at Lakhnadon for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court of there.

क्र. बी-3961-तीन-10-42-75 (नीमच-जावद).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री हेमन्त जोशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच अपने घोषित कार्यस्थल नीमच के अतिरिक्त, जावद में भी प्रत्येक माह में 2(दो) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3961-III-10-42-75 (Neemuch-Javad).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Hemant Joshi, IInd Addl. Distt. & Session Judge, Neemuch in addition to his place of sitting declared at Neemuch, shall also sit at Javad for 2 (Two) Weeks in each Month, for holding of Link Court of there.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी.ई.).

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. 872-गोपनीय-2014-दो-3-83-2014.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी रूपाली भलावी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, डिण्डौरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, डिण्डौरी का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन "श्रीमती रूपाली उइके" पत्नी श्री पुष्पराजसिंह उइके करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्र. 947-गोपनीय-2014-दो-3-86-2014.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी मंजूषा इड़पाचे, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, छिन्दवाड़ा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन "श्रीमती मंजूषा तेकाम" पत्नी श्री सुमित तेकाम करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्र. 997-गोपनीय-2014-दो-3-87-2014.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी शुभांगी पालो, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, जबलपुर के न्यायालय के नवम् अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन "श्रीमती शुभांगी पालो दत्त" पत्नी श्री निशान्त दत्त करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

क्र. बी-3936-पेंशन-चार-9-4-39-भाग-तीन-डी.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ, इन्दौर, ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु आगामी वर्ष 2015 में पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:—

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	वर्ष 2015 सेवानिवृत्ति का दिनांक वित्त विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्र. 439/3497/75/आर.-एक-चार, दिनांक 16-4-76 के अनुसार.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		प्रथम श्रेणी अधिकारी		
1	श्री एच. बी. खेडकर	लेखा अधिकारी, उ.न्या. मध्यप्रदेश, जबलपुर.	5-3-1955	31-3-15 अप.
2	श्री एस. के. साहा	रजिस्ट्रार, उ. न्या. मध्यप्रदेश, जबलपुर.	5-4-1955	30-4-15 अप.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		द्वितीय श्रेणी अधिकारी		
1	श्री हरी ओम शिवहरे	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	8-2-1955	28-2-15 अप.
2	श्री रामसखा तिवारी	अनु. अधि., उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	12-2-1955	28-2-15 अप.
3	श्री निजाम उल्ला खान	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	22-2-1955	28-2-15 अप.
4	श्री आर. के. जौहरी	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या. मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर.	24-6-1955	30-6-15 अप.
5	कुमारी शोभा पवार	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	6-7-1955	31-7-15 अप.
6	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी	ग्रंथपाल, उ. न्या. मध्यप्रदेश, जबलपुर.	2-12-1955	31-12-15 अप.

जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. 950-गोपनीय-2014-दो-3-1-2014 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्रमांक (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री विवेक सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बड़वाहा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बड़वाहा, जिला मण्डलेश्वर.	बड़वाहा	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (जिला स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

क्र. 926-गोपनीय-2014-दो-3-250-57 (भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब (1) (अनुपूरक सूची क्रमांक 01) दिनांक 22 जुलाई 2014 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम

के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सूर्यपाल सिंह राठौर	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2014

क्र. B-3821-तीन-6-4-81भाग-6.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1753-तीन-6-4-81 भाग-5, दिनांक 9 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,

अनुसूची

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना	राजस्व जिला पन्ना	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना का न्यायालय

No. B-3821-III-6-4-81-Pt.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act. No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D-1753-III-6-4-81 Pt. VI, dated 9th April 2013, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification, in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. (2), the following entries shall be substituted:—

SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Devendra Prasad Mishra, Ist Additional Sessions Judge, Panna.	Revenue District Panna	Court of Ist Additional Sessions Judge, Panna.

क्र. B-3823-तीन-6-4-81 पांच.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक डी-1751, दिनांक 9 अप्रैल 2014 को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है, में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 02 में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं. 03 में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कालम नं. 04 में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में)	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2, 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खण्ड का समस्त क्षेत्र.	बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.

No. B-3823-III-6-4-81-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, by making slight amendments in its previous Notification No. D/1751 dated 9 April 2013 hereby appoints the following Additional Sessons Judge, Specified in Column No. 2 of the Schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. 3 of the said Schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. 4 thereof established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him namely :—

SCHEDULE

No.	Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge	Area for which he is proposed to be appointed as a Special Judge	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Umesh Kumar Shrivastava, XIIth Additional Sessions Judge Gwalior.	All area of Gwalior Sessions Division excluding the territorial jurisdiction given to the Special Court at serial No. 2, 3 & 4 under Sessions Division Gwalior.	Court of XIIth Additional Sessions Judge, Gwalior.

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्र. B-3988-तीन-6-2-2014.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260(1)(ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

सारणी

क्र.	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती दुर्गा डुडवे (सोलंकी) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	कुक्षी	धार
2	कु. विनीता भटनागर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	खरगौन	प.नि. मण्डलेश्वर
3	श्री शिवचरण पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	खरगौन	प.नि. मण्डलेश्वर
4	श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	कसरावद	प.नि. मण्डलेश्वर

(1)	(2)	(3)	(4)
5	श्री अरविंद दारिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	भीकनगांव	प.नि. मण्डलेश्वर
6	श्रीमती सुमन उईके, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
7	कु. मंजुषा इडपाचे न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
8	श्री ए. के. दंदेलिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सौसर	छिन्दवाड़ा
9	श्री दीनानाथ वाडीवा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	जुन्नारदेव	छिन्दवाड़ा
10	श्रीमती रेखा आर. चंद्रवंशी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
11	श्री मयंक कुमार शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
12	श्री राहुल वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
13	श्री सुधीर सिंह निगवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
14	कु. मधुलिका मूले, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
15	कु. सोनल पस्तारिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
16	कु. प्रीति जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	इन्दौर	इन्दौर
17	श्री निशीथ खरे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सांवेर	इन्दौर
18	श्रीमती ज्योत्सना आर्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सांवेर	इन्दौर
19	कु. सपना कौशल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	मऊ	इन्दौर
20	श्री राकेश कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	हातोद	इन्दौर
21	श्री लवकेश सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	छतरपुर	छतरपुर
22	श्री उमेश कुमार पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सिंगरौली	सिंगरौली
23	श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	सिंगरौली	सिंगरौली
24	श्री मनीष अनुरागी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	रतलाम	रतलाम

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी.ई.)

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्र. 208-स्था.सैट-2014.—श्री देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर को दिनांक 3 से 11 जुलाई 2014 तक कुल नौ दिवस का लघुकृत अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्री चतुर्वेदी जी को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री चतुर्वेदी जी को अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चतुर्वेदी जी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) के पद पर कार्य करते रहते. अतः अवधि दिनांक 3 से 11 जुलाई 2014 तक मूलभूत नियम 26(ब) (2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिए गिनी जावेगी.

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.